



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2012/फाल्गुन 9, 1933

No. 81]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2012/PHALGUNA 9, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 109(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियम, 2006 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियम, 2006 के नियम 28 में "ऐसा अधिकारी जिसे अध्यक्ष इस संबंध में नियुक्त करता है" शब्दों के स्थान पर "इस संबंध में सचिव द्वारा विधिवत् प्राधिकृत आयोग का कोई अन्य अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 7-12/2006-एमसी]

अमित खरे, सयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 553(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। और तत्पश्चात् सा.का.नि. 273, तारीख 26 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2012

G.S.R. 109(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Commission for Minority Educational Institutions (Procedure for Appeal) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Procedure for Appeal) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 28 of the National Commission for Minority Educational Institutions (Procedure for Appeal) Rules, 2006, for the words "such officer as the Chairperson appoints in this behalf", the words "any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf", shall be substituted.

[F.No. 7-12/2006-MC]

AMIT KHARE, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide No. G.S.R. 553(E), dated 14th September, 2006 and subsequently amended vide G. S. R. 273 (E), dated 26th March, 2007.